जेपीडी–6/ 388

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांकः जे.पी.डी./ /राज./पत्रा./प्रे. 381 जयपुर, दिनांकः 19-2-14

–: आदेश :–

अद्योहस्ताक्षकर्त्ता के ध्यान मे लाया गया है कि उपखण्डों द्वारा बिलिंग ऐजेंसी द्वारा दी गयी अपवाद सूचना (Exception report) के अनुसार विद्युत विपत्रो की सही प्रकार से एवं पूर्ण जांच किये बिना वितरण हेतु भिजवा दिया जाता है। परिणामस्वरूप, संबधित उपभोक्ताओं को सही विद्युत विपत्र प्राप्त नही होता है एवं उन्हे टालनीय असुविधा का सामना करना पडता है। इस कार्य शिथिलता के कारण उपभोक्ताओं मे गंभीर असन्तोष एवं आक्रोश पैदा होता है तथा निगम की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। संबधित कर्मचारियों/ अधिकारियों को भी अपनी ही कार्यशैली के कारण अपना अतिरिक्त समय तथा मानव श्रम बर्बाद करना पड़ता है।

अतः सभी राजस्व उपखण्डों मे कार्यरत खाता लिपिकों एवं सहायक राजस्व अधिकारियों/सहायक अभियन्ताओं को आदेश दिये जाते है कि बिलिंग ऐजेंसी द्वारा दी गयी अपवाद सूचना (Exception report) की (विपत्र मुद्रण से पूर्व) गहन जांच करके त्रुटियो का निराकरण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेगे एवं अपवाद सूचना (Exception report) की भौतिक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगे। बेस बिलिंग प्रणाली द्वारा मुद्रित विपत्रो को इनपुट/ अपवाद सूचना (Exception report) की सहायता से पुनः जांच करेगे एव इन विपत्रो पर अपने लधु हस्ताक्षर करने के पश्चात ही विपत्रो का वितरण सुनिश्चित करेगे।

वित्तीय वर्ष 2013–14 समाप्त की ओर अग्रसर है, अतः मार्च 2014 तक की बिलिंग के लिए उपरोक्त निर्देशो एवं अन्य कार्यो के अलावा निम्न अधिकारी भी उक्त आदेशो के क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तरदायी होगे तथा अपने अधीन उपखण्डों मे निम्न कार्यक्रमानुसार निरीक्षण करेगे :–

1 संबंधित अधिशाषी अभियन्ताः– प्रति कार्य दिवस एक सहायक अभियन्ता कार्यालय ।
2 लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारीः– प्रति सप्ताह एक सहायक अभियन्ता कार्यालय।

(ए.के.गुप्ता)
प्रबंध निदेशक (ज.वि.वि.नि.लि.)

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1 प्रबंध निदेशक ( ), अजमेर/जयपुर/जोधपुर वि.वि.नि. लिमिटेड,.................. ।
2 निदेशक (वित्त/तकनीकी), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर
3 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ...
4 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर।
5 अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... को भेजकर सलाह दी जाती है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों में इन आदेशों की छायाप्रति का वितरण सुनिश्चित करे।
6 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,........................... को लेख है कि उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन मे उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

विशेषाधिकारी (राजस्व)